सत्यमेव जयते

उत्तराखण्ड सूचना आयोग

सैक्टर 1, सी–30 डिफैंस कालोनी, देहरादून

दूरभाष : 0135 – 2666778, 2666779 **ईमेल : uicddn@gmail.com**

सख्या :4343 /उ.सू.आ./2011 दिनांक : मई 24, 2011

1. **समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन**
2. **मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमांऊ मण्डल, देहरादून / नैनीताल**
3. **समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड**
4. **समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड**
5. **समस्त प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड**

विषय : लोक प्राधिकारियों के स्तर से आयोग को पृष्ठांकित अनावश्यक संदर्भ विषयक.

विभिन्न लोक प्राधिकारियों / लोक सूचना अधिकारियों / प्रथम अपीलीय अधिकारियों के स्तर से आयोग में प्राप्त हो रही दैनिक डाक / संदर्भों के अवलोकन से यह तथ्य सामने आया है कि विभिन्न लोक प्राधिकारियों / लोक सूचना अधिकारियों द्वारा आवेदनकर्ताओं को जो सूचना प्रेषित की जाती है उसकी एक प्रति आयोग को भी पृष्ठांकित की जा रही है. इसी प्रकार विभिन्न प्रथम अपीलीय अधिकारियों द्वारा उनके स्तर पर निस्तारित की जाने वाली प्रथम अपीलों के आदेशों को आयोग को भी पृष्ठांकित किया जा रहा है.

2. उपरोक्त प्रकिया उचित नहीं है. इससे एक ओर लोक प्राधिकारियों / लोक सूचना अधिकारियों के स्तर पर समय, धनराशि, स्टेशनरी आदि का अपव्यय तो होता ही है, आयोग के स्तर पर भी अनावश्यक डाक / संदर्भ बड़ी मात्रा में प्राप्त होती है.

3. लोक प्राधिकारियों / लोक सूचना अधिकारियों / प्रथम अपीलीय अधिकारियों के स्तर से आयोग को केवल उन्हीं सूचनाओं / संदर्भों / आदेशों को आयोग के प्रसंज्ञानार्थ पृष्ठांकित किया जाना आवश्यक है जिन्हें आयोग द्वारा अपीलों एवं शिकायतों की सुनवाई कर अंतरिम अथवा अंतिम आदेशों में आख्या अथवा अनुपालन आख्या हेतु निर्दिष्ट किया गया हो. **लोक प्राधिकारियों / लोक सूचना अधिकारियों / प्रथम अपीलीय अधिकारियों तथा सूचना आवेदनकर्ताओं के मध्य हो रहे किसी भी अन्य पत्राचार को आयोग को पृष्ठांकित करने की आवश्यकता नहीं है.**

4. समस्त लोक प्राधिकारी कृपया अपने अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारियों / प्रथम अपीलीय अधिकारियों को उपरोक्त वर्णित अनावश्यक पत्राचारों को आयोग को पृष्ठांकित न करने के संबंध में यथोचित रूप से निर्देशित करना सुनिश्चित करें.

24/5/11

(एन. एस. नपलच्याल)
मुख्य सूचना आयुक्त